न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 172/2024

अनवान : –

1. विकास पुत्र राकेश कुमार जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. राकेश कुमार पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. मीरा देवी पुत्री मेहरचन्द जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
3. प्रमेश्वरी देवी पुत्री मेहरचन्द जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
4. दर्शना पुत्री राकेश कुमार जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
5. कविता पुत्री राकेश कुमार जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
6. मोनिका पुत्री राकेश कुमार जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

<u>दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955</u>

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

<u>निर्णय</u> दिनांकः 08/04/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता स0 134/136 की कुल 17.5030 हैक्ट भूमि में से 1770/17503 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता स0 110/115 की कुल 27.7590 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि बाधो पत्नी मेहरचन्द के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बाधो पत्नी मेहरचन्द के नाम दर्ज है जो कि वादी की दादी है बाधो पत्नी मेहरचन्द का देहान्त हो चुका है तथा बाधो पत्नी मेहरचन्द के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 है जो बाधो पत्नी मेहरचन्द के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 व 4 ता 6 ने उक्त वाद भूमि में से अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रोही मौजा दुर्जाना में अन्य भूमि दर्ज है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी अकेला काबिज है जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह [illegible] किया [illegible]।

अतः वादी का वाद डिक्री [illegible] कि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के [illegible] में दर्ज करवा प[illegible]अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:45:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 को कोई ऐतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता स0 134/136, 110/115 मृत्यु प्रमाण बाधोदवी तथा शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी की दादी बाधो पत्नी मेहरचन्द के नाम दर्ज है जो कि वादी की दादी है बाधो पत्नी मेहरचन्द का देहान्त हो चुका है तथा बाधो पत्नी मेहरचन्द के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 है जो बाधो पत्नी मेहरचन्द के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 व 4 ता 6 ने उक्त वाद भूमि में से अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रोही मौजा दुर्जाना में अन्य भूमि दर्ज है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी अकेला काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता स0 134/136 की कुल 17.5030 हैक्ट भूमि में से 1770/17503 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता स0 110/115 की कुल 27.7590 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि बाधो पत्नी मेहरचन्द के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान में वादी की दादी बाधो पत्नी मेहरचन्द के नाम दर्ज है जो कि वादी की दादी है बाधो पत्नी मेहरचन्द का देहान्त हो चुका है तथा बाधो पत्नी मेहरचन्द के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 है जो बाधो पत्नी मेहरचन्द के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 व 4 ता 6 ने उक्त वाद भूमि में से अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रोही मौजा दुर्जाना में अन्य भूमि दर्ज है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी अकेला काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:45:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

द्वारा स्वीकार करते हुए सहमति/ ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता स0 134/136 की कुल 17.5030 हैक्ट भूमि में से 1770/17503 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता स0 110/115 की कुल 27.7590 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि बाधो पत्नी मेहरचन्द के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में बाधो पत्नी मेहरचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 08/04/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:45:34 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 172/2024

अनवान : –

1. विकास पुत्र राकेश कुमार जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राकेश कुमार पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. मीरा देवी पुत्री मेहरचन्द जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
3. प्रमेश्वरी देवी पुत्री मेहरचन्द जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
4. दर्शना पुत्री राकेश कुमार जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
5. कविता पुत्री राकेश कुमार जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
6. मोनिका पुत्री राकेश कुमार जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 172 सन 2024 निर्णय दिनांक - 08/04/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता स0 134/136 की कुल 17.5030 हैक्ट भूमि में से 1770/17503 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता स0 110/115 की कुल 27.7590 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि बाधो पत्नी मेहरचन्द के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में बाधो पत्नी मेहरचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/04/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:45:34 IST
Reason: SelfAttested